

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2022/487

मदालत..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम..... निम्बाहेड़ा

..... पुष्पलाल..... बनाम..... पोखरलाल

किस्सा मुकदमा..... पत्थरगढी..... नं. 117..... सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-5-22	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थीगण उप0 वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/- फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि वाके मौजा अरनिया जोशी पटवार हल्का अरनिया जोशी तहसील निम्बाहेड़ा खाता सं 117 आराजी न0 914/62 रकबा 0.2700 हे0, असासजर प0 921/63 रकबा 0.1900 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.4600 स्थित हैं । भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करें तहसीलदार निम्बाहेड़ा को हुक्मनामा/ आदेश जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो</p>	

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)